



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175365

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3890 / 2026

कैलाश निषाद

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

विनय भूषण उपाध्याय, विवेक कुमार पांडे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय भूषण उपाध्याय और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शत्रुहन यादव को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 13/2025, धारा 103(1), 238(बी), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना कोतवाली देहात, जिला बांदा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सह-आरोपी फूल चंद्र और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान सह-आरोपी फूल चंद्र के बयान के आधार पर अपीलार्थी को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे कहा कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष अपीलार्थी के इकबालिया बयान के अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कोई ठोस सबूत अभिलेख पर नहीं है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि इस मामले के अलावा अपीलार्थी का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत एक हत्या का मामला भी शामिल है, लेकिन यह मामला वर्ष 2002 का है और अपीलार्थी के पूरे आपराधिक इतिहास का विवरण दिया जा चुका है।
6. आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में अपीलार्थी 2 फरवरी 2025 से यानी पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से जेल में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध तो किया, लेकिन अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यों संबंधी तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बात सुनी और मामले का अभिलेख देखा।

9. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इससे पता चलता है कि जांच के दौरान अपीलार्थी को सह-आरोपी फूल चंद्र के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जिसे जांच अधिकारी ने दर्ज कराया था। इससे यह भी पता चलता है कि सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष अपीलार्थी के इकबालिया बयान के अलावा अपीलार्थी के खिलाफ कोई ठोस सबूत अभिलेख में नहीं है।

10. इसके अलावा, इससे यह भी पता चलता है कि वर्तमान मामले के अलावा अपीलार्थी का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या का एक मामला भी शामिल है, लेकिन यह मामला वर्ष 2002 का है और अपीलार्थी के पूरे आपराधिक इतिहास का विवरण दिया जा चुका है।

11. इसके अलावा, इस मामले में अपीलार्थी 02.02.2025 से यानी पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से जेल में है।

12. अतः ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

14. अपीलार्थी- **कैलाश निषाद** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) अपीलार्थी किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

शाहरोज

Translated Judgment. Not for Legal Use.